

प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक,  
देवरिया।

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,  
गापू इ०का० सलेमपुर,  
देवरिया।

पत्रांक/च०बो०/ 8014-19

/2021-22

दिनांक- 15-11-2021

विषय- विज्ञापन संख्या-01/2021 प्रशिक्षित स्नातक शारीरिक शिक्षा वर्ग-01 एवं 02 पदों के प्रति उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली-1998 के नियम-12 उपनियम(8) तथा (10) के अधीन निर्मित प्रशिक्षित स्नातक शारीरिक शिक्षा लिए उपर्युक्त अभ्यर्थियों का पैनल 12(11) के अधीन कार्यभार ग्रहण कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज के पत्रांक/4067-4144/चयन/123-2021/2020-21 दिनांक 08-11-2021 के साथ संलग्न विज्ञापन संख्या-01/2021 के साथ जारी स्नातक शारीरिक शिक्षा विषय की पैनल के सूची के क्रमांक-212 पर अंकित चयनित अभ्यर्थी जिनका विवरण निम्नवत है:-

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	श्रेणी	विषय	विद्यालय का नाम	अभ्यर्थी का पूरा पता
0910028837	DIGVIJAI PRAJAPATI	RAMASHRY PRAJAPATI	OBC	PHYSICAL EDUCATION	BAPU INTER COLLEGE SALEMPUR DEORIA	RAMASHRY PRAJAPATI, AKTAHIA URF MATIYARI, TARASARA, DEORIA, UP-274204

उक्त आदेश के अनुपालन में चयनित अभ्यर्थी को अपने विद्यालय में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज द्वारा निर्गत नियमावली के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी के समस्त शैक्षिक प्रमाण-पत्रों की जाँच/मिलान आप स्वयं उनके मूल प्रमाण-पत्रों से करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण कराये। कार्यभार ग्रहण की सूचना अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये। शिक्षा निदेशक(मा०) के पत्रांक/शिविर/30305-30405/2020-21 दिनांक 25-01-2021 के अनुपालन में चयनित अभ्यर्थी के अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन अपने स्तर से कराये तथा चयनित अभ्यर्थी से निम्न विवरणानुसार शपथपत्र प्राप्त कर अपना शपथपत्र के साथ सत्यापन आख्या कार्यालय को प्रस्तुत करें।

“ मैं (.....नाम/पिता का नाम/पता.....) प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत चयन से सम्बन्धित समस्त अभिलेख/तथ्य पूर्णतया सत्य है। यदि कोई अभिलेख कूटरचित/फर्जी पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति/चयन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उक्त के कारण यदि मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता में प्राविधानित सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।”

अस्तु आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराये। कार्यभार ग्रहण न कराये जाने की दशा में विद्यालय प्रबन्धतंत्र दोषी माना जायेगा और उसके विरुद्ध उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज द्वारा स्थापित नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।



(देवेन्द्र कुमार गुप्ता)  
जिला विद्यालय निरीक्षक,  
देवरिया

पृ०सं०/च०बो०/

/2020-21

तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि-(पंजीकृत-पत्र) निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-सचिव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज।
- 2-शिक्षा निदेशक(मा०), उत्तर प्रदेश, शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 3-संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम मण्डल, गोरखपुर।
- 4-वित्त एवं लेखाधिकारी(मा०शि०), कार्यालय-जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया।
- 5-DIGVIJAI PRAJAPATI, AKTAHIA URF MATIYARI, TARASARA, DEORIA, UP-274204

जिला विद्यालय निरीक्षक  
देवरिया।